

## नागरिक अधिकार पत्र

### परिचयात्मक टिप्पणी

जनता की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सुविधाजनक बस सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में 01 अक्टूबर, 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। निगम की स्थापना के समय 8 आगारो के माध्यम से राजस्थान के 70 मार्गों पर 421 बसों द्वारा लगभग 45 हजार कि.मी. का संचालन किया जाता था। तथा लगभग 29000 यात्रियों को यातायात सुविधा प्रदान की जा रही थी। वर्तमान में राजस्थान रोडवेज के 48 आगारों द्वारा 4802 बसों के माध्यम से रोजाना 17.50 लाख कि.मी. का संचालन किया जा रहा है। और लगभग 10.74 लाख यात्रियों को बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

निगम का प्रमुख उद्देश्य जनता को नियमित, समयबद्ध एवं सुविधापूर्ण सेवा उपलब्ध कराना है, जिसे पूरा करने में निगम काफी हद तक सफल रहा है, सेवाओं की गुणत्मकता के क्षेत्र में निगम ने दिन प्रतिदिन प्रगति की है। इसी कड़ी में निगम ऐसे मार्गों पर भी संचालन कर रहा है जो लाभदायी नहीं है, राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर निगम के अपने बस स्टेंड हैं जिन पर सभी यात्री सुविधाये यथा शौचालय, शीतल पेयजल, जलपान गृह, कुर्सियां, यात्री शेड इत्यादि उपलब्ध कराई गई हैं।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी पूर्ण रूप से सजग है। पत्रकार, नैत्रहीन मय एक सहयोगी, स्वतन्त्रता सेनानी एवं उनकी विधवाये मय एक सहयोगी, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकायें, युद्ध में मृतक सैनिकों की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने एवं मानसिक विमन्दित व्यक्तियों का निगम द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। जबकि श्रवण बाधित, विकलांग, कैंसर रोगी, कुष्ठ रोगी तथा थैलिसिमिया रोगी एड्स रोगी को यात्रा पर 75 प्रतिशत रियायत उपलब्ध है। विधार्थी तथा मानसिक विमन्दित के सहयोगी को यात्रा पर 50 प्रतिशत की रियायत उपलब्ध करायी हुई है। महिलाओं द्वारा समूह में (न्यूनतम् 5 महिलाएं) यात्रा करने पर किराये में 25 प्रतिशत की छूट, 65 वर्ष व उससे अधिक

आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 30 प्रतिशत की छूट, आदिवासी क्षेत्रों में संचालित साधारण वाहनों में आदिवासियों को किराये में 25 प्रतिशत की छूट व निगम के लाईसेन्सधारी कूलियों को नगरीय वाहन सेवाओं में निवास स्थान से बस स्टेप्ड आने व वापिस जाने की यात्रा करने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट देय है।

जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर विकसित कॉलोनियों के निवासियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निगम द्वारा विगत कई वर्षों से नगरीय बस सेवाओं का संचालन घाटा होने के बावजूद भी किया जा रहा है। वर्तमान में जयपुर शहर में लगभग 250 नगरीय बसों का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है। कामकाजी महिलाओं के लिये जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों से सुबह व शाम महिला स्पेशल नगरीय बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

निगम अपने यात्रियों के प्रति उत्तरदायित्व के बारे में भी पूर्ण रूप से सजग है तथा अपनी सेवाओं में निरन्तर सुधार लाकर सेवाओं को अधिक से अधिक यात्री उन्मुख बनाने की ओर से अग्रसर है निगम यात्रियों के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता के रूप में इस नागरिक चार्टर की उद्घोषणा करता है ताकि निगम द्वारा यात्रियों के लिये पूर्ण पारदर्शिता रहे तथा यात्रियों की अपेक्षा की पूर्ति हेतु निगम और अधिक कटिबद्ध हो सकें।

### निगम की स्थापना का उद्देश्य:-

राज्य परिवहन निगम की स्थापना निम्न उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से की गई है:-

1. यात्रियों को समन्वित एवं पर्याप्त परिवहन सेवायें उपलब्ध करवाना।
2. राज्य के यातायात सेवाओं के विकास द्वारा जनता, व्यापार एवं उद्योग को लाभ पहुँचाना।
3. सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अनुसार निगम का कर्तव्य पर्याप्त एवं उचित तौर से समन्वित सेवाओं में अभिवृद्धि करना।

परिवहन निगम द्वारा राज्य के समस्त राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, किन्तु विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त मांग के अनुरूप राज्य के कुछ अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी जनता की सुविधार्थ सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रान्त के पड़ौसी राज्य के प्रमुख स्थानों के लिये भी अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सेवाये प्रदान की जा रही है।

## सेवाओं के प्रकार:-

### वोल्वो वातानुकूलित सेवाएः:-

निर्धारित गन्तव्य तक पहुँचाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुविधाजनक कम समय में यात्रा हेतु वोल्वो वातानुकूलित सेवाएँ जयपुर-दिल्ली, दिल्ली-जोधपुर व दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-अहमदाबाद के मध्य उपलब्ध करवाई जा रही है। शीघ्र ही राज्य के प्रमुख शहरों एवं तीर्थ स्थलों तथा पर्वतीय प्रदेशों के प्रमुख शहरों को इस प्रकार के सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव है।

### वातानुकूलित बस सेवाएँ (पिंक लाईन):-

परिवहन निगम द्वारा यात्रियों को अधिक आरामदायक एवं बेहतर सुविधाजनक यात्रा के लिये वातानुकूलित सेवाएँ भी उपलब्ध करायी हुई हैं। ये सेवायें मुख्यतः जयपुर से दिल्ली, जयपुर से आगरा, जयपुर से उदयपुर, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से कोटा व जयपुर अहमदाबाद के लिये उपलब्ध कराई हुई हैं। इन सेवाओं का भी विस्तार करना एवं सेवा का स्तर और उपर उठाना प्रस्तावित है।

### स्लीपर कोच वातानुकूलितः-

जयपुर से अहमदाबाद, जयपुर से हरिद्वार, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से उदयपुर व जयपुर से आबूपर्वत के लिये उक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

### स्लीपर कोच :-

जयपुर से विरात्रामाता, गडरा रोड जैसलमेर, ग्वालियर, लखनऊ के लिये नॉन एसी स्लीपर सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

### डीलक्स सेवाएँ:- (सिल्वर लाईन)

यात्रियों को आरामदायक एवं बेहतर यातायात सुविधाये उपलब्ध करवाने हेतु निगम द्वारा राज्य के अधिकांश जिलों के लिये डीलक्स सेवाये चलायी जा रही हैं।

- निगम द्वारा राज्य की राजधानी जयपुर से प्रान्त के समस्त संभागीय एवं जिला मुख्यालयों के लिये द्रूतगामी (ब्लू लाईन) एवं लम्बी दूरी की सेवाये उपलब्ध करायी जा रही है।

- रात्रिकालीन सेवायें:-

यात्रियों के समय को बचाने के लिये निगम द्वारा रात्रिकालीन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के अलावा सभी पड़ौसी राज्यों के मुख्य शहरों को जोड़ते हुये 500 से अधिक रात्रिकालीन सेवाये संचालित की जा रही हैं।

- अन्तर्राज्यीय सेवायें:-

जनता की सुविधा के लिये राज्य के पड़ौसी राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, व जम्मू कश्मीर आदि राज्यों के प्रमुख नगरों के लिये निगम द्वारा डीलक्स एवं द्रूतगामी सेवाये चलायी जा रही हैं।

- साधारण सेवायें:-

निगम द्वारा जनता की सुविधा के लिये जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले प्रमुख कस्बों के लिये भी सेवायें संचालित की जा रही हैं।

- नगरीय एवं उपनगरीय सेवायें:-

निगम द्वारा जयपुर शहर में नगरीय सेवाओं के साथ साथ राज्य के सभी बड़े नगरों के आसपास के छोटे कस्बों के लिये यात्रियों की सुविधार्थ उपनगरीय सेवाओं का भी संचालन किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों का तहसील मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है। इन सेवाओं को जेसीटीएसएल को हस्तान्तरित किया जाएगा परन्तु बसों का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ही करेगा।

- अनुबन्ध सेवायें:-

जनता को शादी-विवाह, शैक्षणिक भ्रमण एवं अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निगम द्वारा समस्त प्रकार की सेवाये जनता की

आवश्यकता एवं मांग के अनुसार पूर्व निर्धारित दरों पर उपलब्ध करायी जा रही है।

### यात्रियों की सुख सुविधा:-

#### 1. बस स्टेशन की सुविधा:-

यात्रियों की सुविधा के लिये प्रदेश के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बस स्टेशन, बुकिंग कार्यालय उपलब्ध है। राज्य के प्रमुख बस स्टेशनों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा इत्यादि) पर कम्प्यूटर के जरिये यात्रियों को टिकिट उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

#### 2. आरक्षण सुविधा:-

प्रान्त के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों में अग्रिम आरक्षण सुविधा उपलब्ध करायी हुई है। जहां यात्री आपने इच्छित मुख्य स्थान के लिये 30 दिवस पूर्व बस में सीट आरक्षित करवा सकता है। द्रुतगामी सेवाओं के अग्रिम आरक्षण के लिये कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाती है। डीलक्स, सेमीडीलक्स व वातानुकूलित बसों का आरक्षण शुल्क 2/- रु0 है।

जयपुर नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थित कम्प्यूटर से ई-टिकटिंग के 30 निजी कियोस्क पर सीट आरक्षण एवं टिकिट बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। यह सुविधा जयपुर से प्रारम्भ होने वाली वातानुकूलित, डीलक्स एवं सेमी डीलक्स बसों के लिये उपलब्ध है। इन कियोस्क का पता व दूरभाष संख्या यथा स्थान दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त जयपुर शहर में टेलीफोन के द्वारा अधिकतम 6 सीटों के आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है।

केन्द्रीय बस स्टेण्ड सिन्धी कैम्प, जयपुर के अलावा नारायण सिंह सर्किल व बीकानेर हाउस दिल्ली व अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल दिल्ली से भी आरक्षण एवं ऑनलाईन टिकिट की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है।

सांसदों, विधायकों के लिये निगम की सभी बस सेवाओं में सीट आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई हुई है। महिलाओं व विकलांगों के लिये साधारण/द्रूतगामी सेवाओं में सीट आरक्षण की व्यवस्था है।

जयपुर व दिल्ली पर कम्प्यूटर से आरक्षण, चालू टिकिट एवं वापसी टिकिट की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

### 3. रियायती दर पर मासिक पास की सुविधा:-

राज्य में संचालित सामान्य/द्रूतगामी वाहनों में निवास से स्कूल तक 50 कि.मी. की परिधि में आवागम करने वाले छात्रों को किराये में 50 प्रतिशत एवं यात्रियों को मासिक पास पर 40 प्रतिशत की छूट देकर यात्रा का लीा दिया गया है। वर्तमान में माह के मध्य में भी पास बनवाने की सुविधा उपलब्ध करवायी हुई है, बशर्ते कि पास अगले माह का भी बनवाया जावें। एक से अधिक माह का पास बनवाने पर छूट निम्नानुसार हैः—

माह	छूट	वसूली योग्य राशि
1 माह	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत
2 माह	45 प्रतिशत	55 प्रतिशत
3 माह	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

### 4. यात्री, दुर्घटना, क्षतिपूर्ति योजना:-

निगम में यात्रियों को दुर्घटना होने पर तत्काल/क्षतिपूर्ति योजना प्रभावी है। इस योजना में दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, अधिभार, की वसूली, यात्रियों से यात्री किराये के साथ वसूल की जाती है। यह वसूली किराया राशि 16/-रु0 से 23/-रु0 तक या 41 कि.मी. से 60 कि.मी. तक की यात्रा पर रु0 1/- प्रतियात्री तथा इससे अधिक किराया राशि या कि.मी. यात्रा पर (जो भी पहले हो) रु0 2/- प्रतियात्री वसूली योग्य है। योजना के अन्तर्गत नियमानुसार सहायता/क्षतिपूर्ति दी जाती है।

- समय सारणी का प्रदर्शन

निगम के प्रमुख—प्रमुख बस स्टेण्डो पर विभिन्न प्रकार की बस सेवाओं की समय सारणी का अंकन कर सर्वाधिक प्रमुख स्थान पर बोर्ड लगाये गये हैं। तथा वातानूकुलित, डीलक्स तथा सेमी—डीलक्स बसों की समय सारणी निगम के प्रमुख बस स्टेण्ड/बुक स्टॉल से एक रु० मुल्य में प्राप्त की जा सकती है।

- वातानूकुलित प्रतिक्षालयः—

निगम के केन्द्रीय बस स्टेण्ड, सिन्धीकैम्प, जयपुर तथा दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर बस स्टेण्ड पर वातनूकुलित प्रतिक्षालय उपलब्ध है।

- पूछताछ सेवा:-

प्रान्त के महत्वपूर्ण नगरो एवं कर्सो में जहाँ—जहाँ निगम के बस स्टैण्ड/बुकिंग कार्यालय स्थापित है, वहां यात्रियों की सुविधा के लिये पूछताछ केन्द्र भी उपलब्ध कराये हुये हैं। जहाँ पर यात्रीगण बस संचालन की समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बसों के आवागमन एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं की घोषणाओं के लिये लाउडस्पीकर भी उपलब्ध कराये हुये हैं।

- सुझाव एवं शिकायतः—

निगम के प्रमुख—प्रमुख बस स्टेण्डो पर शिकायते एवं सुझाव पुस्तिकायें उपलब्ध करायी हुई हैं। जिसमें कोई भी यात्री अपने सुझाव/शिकायते दर्ज करा सकता है। तथा निगम की बसों में मुख्य प्रबन्धक, प्रबन्धक संचालन, मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष व प्रबन्ध निदेशक के दूरभाष नम्बर अंकित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सुझाव एवं शिकायत रोडवेज हैल्प लाईन नम्बर 9610300900 पर तथा मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 2374670 तथा 94133—85700 पर दर्ज कराई जा सकती है। मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्यरत है।

- कलोक रूम व्यवस्था:-

निगम के प्रमुख स्टैण्डो पर यात्रियों के सुविधार्थ कलोक रूम भी उपलब्ध हैं यात्रीगण अपना सामान भी कुछ समय के लिये सुरक्षित रख सकते हैं।

- अन्य सुविधायें:-

निगम के प्रमुख बस स्टैण्डो पर यात्रियों के सुविधार्थ एसटीडी/पीसीओ बूथ भी उपलब्ध कराये हुये हैं।

निगम के केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सिन्धीकैम्प, जयपुर एवं लगभग सभी आगारो पर पोर्टर/कूलियों की सुविधा भी उपलब्ध है।

- निगम वेबसाईट: -

निगम के कियाकलापो को ओर पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिये निगम द्वारा अपनी सभी गतिविधियों निगम की वेबसाईट [www.rsrtc.gov.in](http://www.rsrtc.gov.in) पर उपलब्ध कराई हुई है।

### रियायती दरों पर यात्रा सुविधा:-

वर्तमान में निगम द्वारा निम्न श्रेणी के यात्रियों को निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। (परिशिष्ट संलग्न है)

यात्रियों एवं आम जनता की सुविधा के लिये प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्रमांक	कार्य	प्रार्थना पत्र जिन्हे प्रस्तुत किया जायेगा।	पत्र के निस्तारण की अवधि
(1)	<b>बस संचालन व्यवस्था बाबतः-</b>		
1.	किसी भी अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बस चलाने बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	तीन माह
2.	किसी भी राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस चलाने बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	एक माह
3.	किसी भी अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस चलाने बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	तीन माह
4.	नगरीय क्षेत्र में बस चलाने बाबत्	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	तीन दिन
5.	उपनगरीय क्षेत्र में बस चलाने बाबत्	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	तीन माह

<b>(2)</b>	<b>बस स्टैण्ड निर्माण बाबतः-</b>		
1.	बडे नगरो में बस स्टोप की सुविधा सृजित करने बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) महा प्रबन्धक	तीन दिन
2.	ग्रामीण इलाको में तथा नई जगह बस स्टैण्ड स्थापित करने बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) महा प्रबन्धक	दस दिन
3.	बस स्टैण्ड निर्माण बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	एक माह
4.	वर्तमान में निर्मित बस स्टैण्ड में विस्तार बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	एक माह
<b>(3)</b>	<b>बस स्टैण्ड पर जनसुविधा बाबत्:-</b>		
1	छाया आदि की सुविधा (सामान्यतया रहती है लेकिन यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो तो)	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	दो माह
2.	बैठने के लिये व्यवस्था (सामान्यतया रहती है लेकिन यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो तो)	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	दो माह
3.	टायलेट की सफाई आदि बाबत्	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	सात दिन
4.	बस स्टैण्ड की सामान्य सफाई	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	दो दिन
5.	दुकानों के बिकने वाली सामग्री बाबत् शिकायत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	एक दिन
6.	एसटीडीएवं टेलीफोन सुविधा बाबत्	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	एक दिन
7.	कैन्टीन व्यवस्था (सामान्यतया रहती है लेकिन यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो तो)	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	एक दिन
8.	पीने के पानी की सुविधा	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	एक दिन
<b>(4)</b>	<b>आम जनता की शिकायतो से सम्बन्धित कार्यवाही:-</b>		
1.	चालक से सम्बन्धित	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
2.	बस लेट होन से सम्बन्धित	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
3.	बस में कार्यरत कर्मचारी की शिकायत बाबत्	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
4.	पूछताछ केन्द्र कर्मचारियों की शिकायत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
5.	बस स्टैण्ड की जनसुविधा के बारे में शिकायते	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
6.	बस संचालन के समय एवं परिचालक के व्यवहार की शिकायत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
7.	अधिक किराया लेने की शिकायत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
8.	टिकिट नहीं देने की शिकायत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन

### यात्रियों के कर्तव्यः-

1. निगम की बसे आपकी सम्पत्ति है। इनकी सुरक्षा करना आपका दायित्व है।
2. कृपया टिकिट लेकर ही यात्रा करें बिना टिकिट यात्रा करना कानूनन अपराध है।
3. बस की छत पर यात्रा करना एवं चलती बस में चढ़ना / उतरना जोखिमपूर्ण है।
4. अनाधिकृत बसों में यात्रा करना असुरक्षित, जोखिम भरा व गैरकानूनी है।

5. बस स्टेशन और बस को साफ—सुथरा रखने में सहयोग दें। बस में धूप्रपान नहीं करें। यात्रा में कोई भी विस्फोटक/ज्वलनशील सामान साथ न रखें।
6. चलती बस में चढ़ने/उतरने का प्रयास नहीं करें।
7. सुझाव पेटी और शिकायत पुस्तिका का उपयोग करें।
8. बस में सहयात्री (अपरिचित) से खाने पीने की वस्तु या खाद्य पदार्थ नहीं लें।
9. बस में शराब पीकर यात्रा नहीं करें और ना ही बस में शराब का सेवन करें।
10. लावारिस सामान बस में हो तो तुरन्त चालक/परिचालक पुलिस को सूचित करें।

## राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा क्यों करें ?

1. राजस्थान परिवहन निगम का उद्देश्य जनता को कुशल, सुरक्षित, पर्याप्त व लिंक बस सेवाये उपलब्ध करवाना है।
2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें विधि सम्मत कानूनों व नियमों के अन्तर्गत बिना दबाव के संचालित होने से बस चालक पर कोई मानसिक दबाव नहीं, जिससे दुर्घटनाओं की न्यूनतम संभावनायें।
3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसे समय की पाबन्दी के लिये प्रयासरत।
4. प्रत्येक यात्री बीमा योजना के अधीन सुनिश्चित व सुरक्षित यात्रा की गारन्टी।
5. ग्रामीण, लम्बी दूरी व अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिये समन्वित बस सेवायें।
6. जयपुर के 27 विभिन्न स्थानों पर कम्प्यूटर से सीधा आरक्षण।
7. उप नगरीय व लम्बी दूरी के मासिक पास धारियों को किराये में छूट।
8. विभिन्न निर्धारित श्रेणी के लोगों के लिये रियायती व निःशुल्क यात्रा सुविधा।
9. नियमित दैनिक यात्रा पर मासिक पास पर 40 प्रतिशत की छूट व विधार्थियों के लिये 50 प्रतिशत की छूट।
10. वोल्वो, डीलक्स एवं वातानूकुलित श्रेणी में देश की सवश्रेष्ठ सेवाएं प्रदत्त।

### निवेदन

“राजस्थान परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्री कृपया परिचालक से टिकिट मांग कर सहयोग प्रदान करें। बिना टिकिट पाये जाने पर बिना टिकिट यात्रा निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक माह तक के कारावास या दो सौ पचास रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। अतः पुनः निवेदन है कि परिचालक से बस टिकिट की मांग अवश्य करें।”